फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबुलाल | **विपक्षी : श्रीमती देवी**

किस्म मुकदमा –53,188 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 142/25**

जीसीएमएस : 2025/298

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 01.07.2025 पत्रावली वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल रेगर द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र तलबी का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश कर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय वादी संख्या 1 को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय वादी संख्या 1 अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:21 IST
Reason: SelfAttested